न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 84 / 2018

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 लालचन्द पुत्र अमरचन्द जाति गुर्जर निवासी खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर जरिये मुख्तयार कैलाशचन्द पुत्र ईश्वरदयाल सैनी जाति माली निवासी पुरोहितजी की ढ़ाणी सीकर तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 कब्रिस्तान कमेटी खण्डेला जरिये अध्यक्ष खण्डेला।
2 अध्यक्ष कब्रिस्तान कमेटी ग्राम दायरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
3 कब्रिस्तान कमेटी खण्डेला जरिये सचिव खण्डेला जिला सीकर।
4 राजस्थान वक्फ बोर्ड जरिये अध्यक्ष राजस्थान वक्फ बोर्ड जयपुर जिला जयपुर।
5 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर।
6 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.18
मु.नं. 95 / 15 बउनवानी लालचन्द बनाम कब्रिस्तान
कमेटी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थित

1. श्री रामेश्वर लाल बिजारणीयां अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विधाधर सुण्डा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– ५–५–१९

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 95/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की और से एक वाद योग्य अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि भूमि पुराने खसरा नम्बर 943 रकबा 8 बिघा 17 बिस्वा वाके ग्राम खण्डेला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नये खसरा नम्बर 1364,1365,1366, 1367 कुल किता–4 कुल रकबा 1.47 हैक्टेयर वर्तमान राजस्व ग्राम दायरा वर्तमान तहसील खण्डेला जिला सीकर की तन में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी वर्तमान में कब्रिस्तान के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है। जबकि उपरोक्त भूमियों में से खसरा नम्बर 1364 रकबा 0.65 हैक्टेयर में से 1 बीघा 5 बिस्वा वादी प्रथम सेटलमेन्ट के पूर्व से ही काबिज काश्त है। जिस पर खान डोल पुख्ता मकान पुख्ता डंडा तामिर करवा रखा है। परन्तु वादी के कब्जे की उक्त भूमि रेवन्यू कर्मचारियों की गलती से कब्रिस्तान भी खातेदारी में दर्ज हो गयी जिस बाबत वादी ने पूर्व में एक वाद लालचन्द बनाम राजस्थान सरकार मुकदमा नम्बर 282/1991 न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसके तत्कालिन वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अब्दुल अजीज पुत्र अलादीन ने वादी के पक्ष में दिनांक 28.09.1993 को राजीनाम पेश किया तथा खसरा नम्बर 1364 रकबा 0.65 हैक्टेयर में से 0.31 हैक्टेयर भूमि वादी के कब्जे काश्त में होन व वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने की प्रार्थना की। परन्तु उक्त वाद दिनांक 15.01.2002 को अदम हाजरी में खारिज हो गया। इसलिए वादी को खसरा नम्बर 1364 रकबा 0.65 हैक्टेयर वाके ग्राम दायरा तहसील खण्डेला जिला सीकर में से 0.31-1/4 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे जिस वाद पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2016 को निर्णय पारित करते हुए वाद को अपने क्षेत्राधिकार में न मानकर सक्षम न्यायालय/ प्राधिकरण में चाराजोही करने के निर्देश के साथ वाद को खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन, विवेचन, विश्लेषण किये बिना केवल मात्र वादग्रस्त भूमि को कब्रिस्तान के नाम होने व राजस्थान वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वाद को स्वंय के क्षेत्राधिकार का न मानकर गम्भीर कानूनी भूल की है। इसलिए निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट/ वादी के द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 अध्यक्ष कब्रिस्तान कमेटी खण्डेला के द्वारा दिनांक 16.09.2016 को राजीनामा प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 1364 रकबा 0.65 हैक्टेयर में से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी की होना व वादी को इस भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की प्रार्थना की जो राजीनामा दिनांक 16.09.2016 को पीठासीन अधिकारी द्वारा तस्दीक किया गया। जिसको इग्नोर करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की गयी है जो खारिज होने योग्य है तथा अपीलांट/वादी का वाद स्वीकार किया जाना प्रार्थनीय है। अधिनस्थ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय ने इस और भी कतई ध्यान नही दिया कि पूर्व में प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण को वक्फ बोर्ड जयपुर में पत्रावली स्थानान्तरण किये जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 21.07.2016 को प्रस्तुत किया था परन्तु वादी/प्रतिवादीगण के बीच राजीनामा हो जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 19.09.2016 को विड्रा कर लिया तत्पश्चात पत्रावली में वादी की और से शहादत प्रस्तुत किये जाने के पश्चात प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने का निवेदन किया व पत्रावली अंतिम बहस के दौरान पूर्व में निर्णय/विड्रा प्रार्थना पत्र के अनुसार पुनः अन्य किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं को नियुक्त प्रभारी अभिकथित करते हुए धारा 85 राजस्थान वक्फ अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जिसको आधार मानकर निर्णय पारित कतई न्यायसंगत नही होते हुये भी निर्णय पारित किया जो विधि के प्रतिकुल होने से निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष/अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के अनुसार वाद पत्र के अभिवचनो तथा वक्फ बोर्ड खण्डेला के अध्यक्ष अब्दुल अजीज द्वारा पूर्व में किये गये राजीनामा दिनांक 27.09.1993 के अनुसार वाद योग्य अधिनस्थ न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होते हुए भी न्यायालय का क्षेत्राधिकार न मानकर विधिक त्रुटि की है इसलिए निर्णय/डिकी निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो अभिवचनो व शहादत से यह भली भांति प्रमाणित था कि वादी खसरा नम्बर 1364 के 1 बिघा 5 बिस्वा भूमि पर अपने पूर्वजो के समय से काबिज काश्त है तथा वादी का वाद केवल मात्र राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकारिता का है परन्तु गलत अर्थ निकालते हुए स्वंय के क्षेत्राधिकार में न मानकर कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार खण्डेला द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 23.11.2015 के पैरा

संख्या 15 पर स्पष्ट रूप से अंकन है कि खसरा नम्बर 1364 रकबा 0.65 हैक्टेयर सम्पूर्ण खसरा नम्बर पर कब्रिस्तान/समसान नही है, जिससे वादी के वाद की पूर्णतया तायद होते हुए भी वाद को खारिज करने में भूल की है इसलिए निर्णय खारिज होने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि वक्फ बोर्ड की है जिसकी सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1037 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में भूमि गत खसरा नम्बर 943 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा तन खण्डेला जिला सीकर हाल खसरा नम्बर 1364,1365,1366,1367 कुल किता 4 कुल रकबा 1.47 हैक्टेयर तन ग्राम दायरा तहसील खण्डेला में से हाल खसरा नम्बर 1364 रकबा 0.65 हैक्टेयर में 1 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 01 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1364 गत खसरा नम्बर 943 मिन से बनना प्रकट है। प्रदर्श 02 जमाबंदी संवत 2067 से 2070 में खसरा नम्बर 1364 कब्रिस्तान जाति मुसलमान ग्राम खुद खातेदार के रूप में दर्ज है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 03 वक्फ बोर्ड खण्डेला जरिये अध्यक्ष वक्फ बोर्ड खण्डेला अब्दुल मजीद पुत्र अल्लादीन जाति मुसलमान (बिसायती) निवासी खण्डेला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की और से दिनांक 27.09.1993 को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

राजीनामा प्रस्तुत किया गया। इस राजीनामे में अंकित है कि भूमि खसरा नम्बर 943 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा तन खण्डेला में स्थित है जिसके कुल नवीन खसरा नम्बर 1364,1365,1366,1367 कुल किता 4 रकबा 1.47 हैक्टेयर तन ग्राम खण्डेला तहसील श्रीमाधोपुर दर्ज किये गये है। वादी व वादी के बुजुर्ग पूर्व सैटलमेन्ट के समय से ही उक्त भूमि के रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा पर काबिज काश्त चले आ रहे है, वादी की उक्त भूमि के नेवीन खसरा नम्बर 1364 रकबा 0.65 हैक्टेयर तन ग्राम खण्डेला दर्ज किये गये है जो कब्रिस्तान की खातेदारी में रेवन्यू कर्मचारियों की गलती से दर्ज हो गये है उक्त भूमि खसरा नम्बर 1364 रकबा 0.65 हैक्टेयर तन ग्राम खण्डेला की प्रतिवादी नम्बर 03 के लिए पटवारी से सीमाज्ञान करवाया है, पटवारी वक्फ बोर्ड ने मौके पर सीमाज्ञान कर अपनी रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को पेश की है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि राजीनामा के साथ संलग्न है उक्त प्रतिलिपि राजीनामा का भाग मानी जावें। वादी व वादी के बुर्जुगान उक्त भूमि के रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा पूर्व सैटलमेन्ट के समय से काबिज काश्त है व अब भी नवीन खसरा नम्बर 1364 के रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा पर काबिज काश्त है अपनी खाम डोल व मकान पुख्ता व पुख्ता डण्डा तामीर कर रखा है। वक्फ बोर्ड के पटवारी के सीमाज्ञान की प्रमाणित प्रतिलिपि में अंकित भूमि के अतिरिक्त कब्रिस्तान की कोई भूमि नही है नही इससे हमारा सम्बंधि है, वादी अपने नाम खातेदार अंकित करावे तो इसमें हमें कोई आपत्ति नही है। अत राजीनामा पेश कर निवेदन है कि भूमि खसरा नम्बर 1364 रकबा 0.65 हैक्टेयर तन ग्राम खण्डेला की खातेदारी में से वादी के नाम 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि जो उसके कब्जे काश्त में है वादी की खातेदारी में अंकित करवायी जावें। यह राजीनामा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28.09.1993 को तस्दीक किया गया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार खण्डेला की तथ्यात्मक एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 28.11.2015 प्रदर्श 04 संलग्न है इसके बिन्दु संख्या 15 में अंकित है कि " खसरा नम्बर 1364 रकबा 0.65 हैक्टेयर कब्रिस्तान जाति मुसलमान दर्ज रिकार्ड है परन्तु मौके पर सम्पूर्ण खसरा नम्बर में कही भी कब्रिस्तान नही है। इसी रिपोर्ट में बिन्दु संख्या 7 से 13 में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 991,992,993,994,121,1022, 1025 गैर मुमकिन शमशान, गैर मुमकिन तलाई, गैर मुमकिन पाल नगर पालिका खण्डेला के नाम दर्ज रिकार्ड है परन्तु उक्त खसरा नम्बरो में मौके पर कब्रिस्तान है। तहसीलदार की इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1364 मौके पर कही भी कब्रिस्तान नही है अपितु अन्य खसरा नम्बर जो नगरपालिका खण्डेला के नाम है परन्तु मौके पर कब्रिस्तान है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 01 कब्रिस्तान कमेटी जरिये अध्यक्ष खण्डेला कयामुदीन पुत्र नूरदीन निवासी दायरा जाति मुसलमान सदर वक्फ बोर्ड कमेठी खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान की और से दिनांक 16.09.2016 को प्रस्तुत राजीनामा प्रदर्श 10 संलग्न है जिसमें अंकित है कि भूमि खसरा नम्बर नये 1364 रकबा 0.65 हैक्टेयर में से 1 बीघा 5 बिस्वा तन ग्राम दायरा पर वादी वक्त बुर्जगान प्रथम सैटलमेंट के समय से ही काबिज काश्त व आबाद है वादी ने अपनी उक्त भूमि में खाम डोल कायम कर मकानव पुख्ता डण्डा तामीर कर रखा है। लेकिन रेवन्यू कर्मचारियों की गलती से उक्त भूमि की खातेदारी कब्रिस्तान की खातेदारी में कतई गलत दर्ज कर दी है। भूमि खसरा नम्बर 1364 रकबा 0.65 हैक्टेयर में से 1 बीघा 5 बिस्वा यानी 0.31–1/4 हैक्टेयर की खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तथा वादी के नाम होने वाली भूमि से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाता है जो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नही , ना ही भविष्य में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

होगा। उक्त खसरा नम्बर के संबंध में वादी ने पूर्व में एक वाद लालचन्द बनाम राजस्थान सरकार वगैरह मु.नं. 282/1991 पेश किया था उसमें उस समय वक्फ बोर्ड खण्डेला के अध्यक्ष अब्दुल मजीद पुत्र अलादीन जाति मुसलमान निवासी खण्डेला ने वादी के पक्ष में दिनांक 28.09.1993 को राजीनामा पेश कर दिया था उसमे भी भूमि खसरा नम्बर 1364 रकबा 0.65 हैक्टेयर मे से वादी के नाम 1 बीघा 5 बिस्वा अर्थात 0.31–1/4 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी अंकित कर दी जावें जो वादी के कब्जा काश्त में है तथा उसे पूर्व अध्यक्ष कब्रिस्तान तथा वादी ने खसरा नम्बर 1364 का सीमाज्ञान पटवारी हल्का से करवाया गया था जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि को राजीनामा के साथ संलग्न की तथा उक्त प्रतिलिपि राजीनामा का भाग मानी गई थी वादी का दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी को कोई ऐतराज नही है। अत राजीनामा पेश कर निवेदन है कि दायरा के नये खसरा नम्बर 1364 रकबा 0.65 हैक्टेयर में से 1 बिघा 5 बिस्वा यानी 0.31–1/4 हैक्टेयर भूमि का वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि से प्रतिवादी एवं कब्रिस्तान का नाम हजफ किया जाता है तो प्रतिवादी नम्बर 01 को कोई ऐतराज नही है, ना ही भविष्य में होगा वादी का दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावें। यह राजीनामा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.2016 को तस्दीक किया गया।

पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 03 की और से नियुक्त प्रभारी मुकदमा सब्जअली पुत्र इमामबक्स जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 15 खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर ने दिनांक 11.01.2017 को आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित भूमि मुसलिम वक्फ बोर्ड जयपुर की सम्पदा है जो विज्ञप्ति संख्या डब्ल्यू वी रिकार्ड/65 दिनांक 23.09.1965 की सूची कमांक 63 पर खण्डेला जिला सीकर के कब्रिस्तान के नाम से है। कयामुदीन कुरेशी नाम के व्यक्ति ने फर्जी अध्यक्ष बनकर राजीनामा पेश

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक अपील अधिकारी
सीकर

किया है जिसका उसे अधिकार नही है राजीनाम खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय की पत्रावली में राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फस जयपुर ज्योति नगर जयपुर द्वारा कमांक वक्फ/कमेटी/2017/6785 जयपुर दिनांक 10.10.2017 का कोरिजेन्डम संलग्न है। इसमें अंकित है कि कार्यालय हाजा के आदेश कमांक 31–38 दिनांक 04.01.2012 द्वारा ग्राम दायरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित वक्फ जायदादों के इंतेजाम के लिये वक्फ कमेटी का गठन किया गया था। जिसमें श्री कयामुदीन कुरेशी को सदर वर्णित किया गया है। जिसका हिन्दी अनुवाद अध्यक्ष है। अत उपरोक्त आदेश श्री कयामुदीन कुरेशी " सदर" के स्थान पर इसे "अध्यक्ष" पढ़ा जाये इस कोरिजेन्डम से जाहिर है कि श्री कयामुदीन कुरैशी दिनांक 16.09.2016 को सदर वक्फ बोर्ड कमेठी का अध्यक्ष था एवं प्रस्तुत राजीनामा उनके द्वारा बतौर अध्यक्ष किया गया है इसके विपरित विचारण न्यायालय के समक्ष सब्जअली की और से मुस्लिम वक्फ बोर्ड की और से प्रभारी होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.07.2018 को सब्जअली की और से गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23.09.1965 की प्रति प्रस्तुत की है इस सूची में विवादित भूमि खसरा नम्बर 1364 का कही भी अंकन नही है। दौराने अपील सब्जअली की और से दिनांक 19.12.2016 के पत्र कमांक वक्फ/2016/लिटी/7003 की प्रति पेश की है। जिसमें राजस्थान वक्फ बोर्ड की और से यह अधिकार पत्र सब्जअली के नाम जारी किया गया।

यहां यह विचारणीय है कि विवादित भूमि के सन्दर्भ में विचारण न्यायालय के समक्ष तत्कालीन अध्यक्ष अब्दुल मजीद की और से दिनांक 28.09.1993 को राजीनामा प्रस्तुत किया जाकर वाद कथन को स्वीकार किया गया। इस राजीनामे को निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही नही की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

गई है। इसी प्रकार तत्कालीन अध्यक्ष कयामुदीन अध्यक्ष सदर वक्फ बोर्ड कमेठी खण्डेला की और से दिनांक 16.09.2016 को वादी का वाद स्वीकार किया गया एंव राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो 16.09.2016 को तस्दीक किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न कोरिजेन्डम जिसके तथ्य उपर विवेचित किये जा चुके है से कयामुदीन का तत्समय अध्यक्ष होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में राजीनामे के आधार पर वादी का वाद डिक्री योग्य था।

प्रस्तुत प्रकरण में जहां तक क्षेत्राधिकार की बात है रेस्पोडेंट संख्या 01 सब्जअली की और से प्रस्तुत गजट नोटिफिकेशन में विवादित भूमि खसरा नम्बर 1364 का कही भी अंकन नही होने से, पटवारी एवं तहसीलदार की तथ्यात्मक एवं मौका रिपोर्ट के अंकन से प्रकरण राजस्व रिकार्ड में शुद्वि की घोषणा का पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।

चूकिं तहसीलदार की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1364 पर मौके पर कब्रिस्तान नही है अपितु अन्य खसरा नम्बरान पर जो कि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन श्मशान, गैर मुमकिन तलाई, गैर मुमकिन पाल एवं नगर पालिका खण्डेला के नाम दर्ज है वहां मौके पर कब्रिस्तान है तहसीलदार खण्डेला की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.10.2016 जो विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है इसमें स्पष्ट अंकित है कि उक्त खसरा नम्बर में खण्डेला कांवट रोड़ पर लगभग 15×10 फिट का कमरा बना हुआ है व 16×8 वर्गफिट में दो दुकाने बनी हुई है कमरा व दुकाने बंद पड़ी हुई है लगभग 300 वर्गमीटर में पिलन्थ तक बाउन्डरी वाल बनी हुई है। जिसके दक्षिणी पूर्वी कोने में लगभग 8×8 फिट में ईटों की कोटड़ी बनी हुई है। जिसकी पश्चिमी दिवार गिरी हुई है। इसके अलावा सम्पूर्ण भूमि खाली पड़ी हुई है जिसमें कही कही

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पत्थरो के ढेर पड़े हुये है व बिलायती बबुल भी लगी हुई है। इस मौका रिपोर्ट से स्पष्ट जाहिर है कि मौके पर विवादित भूमि कब्रिस्तान नही है अपितु कब्रिस्तान उपर विवेचित अन्य खसरा नम्बरान पर अवस्थित है।

उपरोक्त विवेचन से विवादित भूमि कब्रिस्तान की होना प्रमाणित नही है अपितु राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज त्रुटिपूर्ण है इसकी पुष्टि तहसीलदार खण्डेला की मौका रिपोर्ट दिनांक 23.11.2015 प्रदर्श 04 से होती है जिसके पृष्ठ संख्या 02 के अन्तिम भाग के अंकन है कि इसी प्रकार पूर्व भू-प्रबंध के समस्त संधारित राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा लटटा की तुलना नव सृजित रिकार्ड से की जाती है तो स्पष्ट रूप से भिन्नता पाई जाती है खसरा नम्बर 943,942 को मौका स्थिति को नवसृजित रिकार्ड से तुलना किये जाने पर मौका स्थिति से तुलना नही होती है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि खसरा नम्बर 1364 कब्रिस्तान की होना साबित नही है अपितु अध्यक्ष वक्फ बोर्ड खण्डेला श्री कयामुदीन एवं श्री अब्दुल मजीद द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर, वक्फ बोर्ड के पटवारी की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार वादी व वादी के पूर्वज खसरा नम्बर 1364 रकबा 0.65 हैक्टेयर तन ग्राम खण्डेला में से 1 बीघा 5 बिस्वा पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी के कब्जे की पुष्टि खसरा परिवर्तित संवत 2041 प्रदर्श 07 एवं लगान की रसीद प्रदर्श 08 धारा 91 के नोटिस प्रदर्श 08 से भी होती है। इसके आधार पर वाद वादी राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का होना एवं डिक्री किये जाने योग्य साबित होता है।

क्षेत्राधिकार के सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1037 प्रस्तुत प्रकरण में चस्पा नही होती है क्योंकि प्रथम तो यह न्यायिक दृष्टांत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर अभिनिर्धारित है प्रस्तुत प्रकरण में मूल वाद के निर्णय की अपील प्रस्तुत की गई। आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का कोई प्रकरण विचारणीय नही है। द्वितीय विवादित भूमि रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत गजट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नोटिफिकेशन में कही भी खसरा नम्बर 1364 का अंकन नही है। ऐसी स्थिति में यह न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 1364 रकबा 0.65 हैक्टेयर तन राजस्व ग्राम दायरा तहसील खण्डेला जिला सीकर में से 1 बीघा 5 बिस्वा अर्थात 0.31–1/4 हैक्टेयर भूमि का वादी लालचन्द पुत्र अमरचन्द को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 01 से 04 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाता है कि उपरोक्त रकबे के सन्दर्भ में दखलंदाजी नही करें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 4-4-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

4.4.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर